न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 23 / 2020 (2020 / 00172) दायर दिनांक 07.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री वंशीलाल बड़वा, पेशा —खेती, निवासी — लखमणियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हीरा लाल पुत्र वंशीलाल बड़वा, पेशा —खेती, निवासी — लखमणियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मंजू देवी पुत्री वंशीलाल बड़वा, पेशा —खेती, निवासी — लखमणियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री देवीलाल बड़वा, निवासी — लखमणियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर , तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

उपस्थिति :— अधिवक्ता प्रार्थीगणः श्री सुनिल बापना
अधिवक्ता विपक्षी सं0 01:— श्री भगवती लाल टेलर

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

दिनांकः—11.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1696 रकबा 0.16 हे0, 1699 रकबा 0.31 हे0, 1709 रकबा 0.47 हे0, 1718 रकबा 0.46 कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 302 पर स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी रांवत् 2075 से 2078 पेश है।

यह है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात में आने—जाने का गाड़ी संजवेल ट्रेक्टर आदि का [illegible] से सोनियाणा जाने वाले कच्चे रास्ते आराजी संख्या 1691 गैर मुमकिन रा[illegible] हुआ विपक्षी की आराजी संख्या 1693 / 1, 1702 व 1707 व शाम[illegible] की पाली के पास से होकर उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी[illegible] आ रहे है और उक्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अलावा प्रार्थीगण का अपनी आराजियात में आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता ही जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया है सुगम सरल व सुविधाजनक है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से करते चले आ रहे हैं क्योंकि प्रार्थीगण की आराजियात व विपक्षी संख्या 1 की आराजियात शामलाती आराजियात थी जिसका विभाजन दिनांक 09.07.2008 को हुआ जिसका दाखिला जमाबंदी संवत् 2063 से 2066 में लगा हुआ है प्रमाण में प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा संलग्न है।

आराजी संख्या 1693/1, 1702 व 1707 विपक्षी संख्या 1 की आराजियात होने से उसने दिनांक 22.06.2020 को उक्त वर्णित आराजी में विद्यमान 20 फीट चौड़े रास्ते को वंद कर दिया व रास्ते के कुछ भाग को हाककर अपने खेत में मिला लिया जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात संख्या 1696, 1699, 1709 व 1718 में नहीं जा पा रहे है।

प्रार्थीगण ने विपक्षी की आराजी संख्या 1693/1, 1702 व 1707 में रास्ते में कारित अवरोध को हटाने के लिए दिनांक 24.06.2020 को कहा लेकिन विपक्षी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो रास्ते में किये गये अवरोध को नहीं हटायेगा एवं रास्ता खुलासा नहीं करेगा।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1696 रकबा 0.16 हे0, 1699 रकबा 0. 31 हे0, 1709 रकबा 0.47 हे0, 1718 रकबा 0.46 कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 हे0 भूमि में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1693/1, 1702 व 1707 में20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावें तथा उक्त रास्ते को बिलानाम गे0मु0 रास्ते की मद में दर्ज कराया जावें इस हेतु विपक्षी संख्या 02 को नियमानुसार राशि जमा करवाने राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम फरमाया जावें।

प्रकरण विधिवतइस न्यायालय में दिनांक 07.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलवाई गई। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब में प्रा0पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात स्वीकार किया व शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। चरण संख्या 02 अस्वीकार की है। प्रार्थीगण की आराजी नं0 1696, 1699, 1709, 1718 में आने जाने हेतु विपक्षी जवाबदाता की आराजी नं0 1693/1, 1702 व 1707 की आराजी का कभी उपयोग उपभोग नहीं किया है व न ही कोइ रास्ता विपक्षी जवाबदाता की आराजी में है। बल्कि प्रार्थीगण आराजी नं0 1696, 1699, 1709, 1718 में सदैव से आवागमन आराजी संख्या 1724 में रास्ते से होकर आराजी संख्या 1697 से होकर करते चले आ रहे थे, लेकिन आराजी संख्या 1697 के खातेदार ने प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया, जिससे प्रार्थीगण इसके बाद आराजी नं0 1710 व 1711 की पश्चिमी मेड़ से अपनी आराजी में आवागमन करता चला आ रहा है व आज भी कर [illegible] सरल व सुगम रास्ता है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03, 04, 05 [illegible] तथ्यों के आधार पर पेश किया जो खारीज योग्य है। चरण संख्या 06 [illegible] होकर अस्वीकार की है। चरण संख्या 08 गलत व झूठा बता [illegible] खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

विपक्षी के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0जैन के बजाए श्री भगवती लाल टेलर द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र हम विपक्षीगण को नाजायज रूप से जलील व परेशान करने के नियत से पेश किया गया हैं उसे खारिज फरमाया जावे यदि न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थी को रास्ता देना उचित समझे तो हम विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1293 / 1 की दक्षिणी पूर्वि पाली के सहारे सहारे होकर आगे आराजी संख्या 1705 की पूर्वि पाली व आराजी संख्या 1707 की दक्षिणी पाली पर रास्ता देने के लिए सहमत है किन्तु हम विपक्षीगण गरीब लघु कृषक है यदि हमारी जमीन रास्ते मे दे दी जावेगी तो हमारी आराजियात के छोटे– छोटे टुकड़े हो जावेंगे। जिससे रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले हम विपक्षीगण को प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 1709 में से भूमि दिलाई जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 20 / 679 दिनांक 12.10.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि आराजी नं0 1693 / 1 रकबा 0.83 हे0 की उत्तरी मेड व उत्तरी पूर्वी के सहारे – सहारे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के शामलाती कुआं आराजी संख्या 1703 पर पूर्व में जा रहे थे जिसे विपक्षीगण द्वारा बंद कर दिया है।

– यह कि मौके पर वर्तमान में रास्ता बंद है।

– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ते के संबंध में विपक्षी अनुसार ग्राम लखमणियास के बिलानाम आराजी नं0 1766 रकबा 0.02 हे0, आराजी नं0 1768 रकबा 0.15 हे0 गै0मु0 रास्ता से होकर आराजी नं0 1754 रकबा 0.02 हे., 1839 रकबा 0.10 गै0मु0 रास्ता से होकर बिलानाम आराजी नं0 1729 रकबा 0.20 बीड़ तथा खातेदारी आराजी नं0 1724 रकबा 1.35 हे0, 1697 रकबा 0.37 हे0 से होकर वादी के खेत से वर्षा पूर्व में जाना बताया वर्तमान में आराजी नं 1724, 1697 के खातेदारों द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर रखा है।

यह कि वर्तमान में उक्त आराजी पर अन्य खेत में फसल नहीं होने पर आवागमन होता है, वर्तमान में आवागमन नहीं हो रहा है।

यह कि वादी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु आराजी नं0 1693 / 1 रकबा 0.83 हे0 में से 0.0240 हे0 तथा आराजी नं0 1702 रकबा 0.18 हे0 में से 0.0170 हे0 आराजी नं0 1707 रकबा 0.19 हे0 में से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होती है। किन्तु उक्त रास्ता देने से आराजी नं0 1693 / 1 के दो टुकड़े होते है इस कारण आराजी नं0 1693 / 1 के उत्तरी मेड़ के सहारे होकर पूर्वी मेड़ के सहारे रास्ता देने पर उक्त आराजी नं0 1693 / 1 से 0.0480 हे0 तथा शेष आराजी नं0 1702 से 0.170 हे0 व आराजी नं0 1707 से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होगी अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0950 हे0 भूमि प्रभावित होगी। ग्राम लखमणियास की सिंचित पास की डीएलसी दर 277191 /– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 26334 /– रूपये होती है, जिसकी दुगुनी राशि 52668 रूपये होती है।

–यह कि प्रस्तावित रास्ता एवं चाहे गये [illegible] से दर्शाया गया है।

–यह कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता स्थित है जिसका [illegible] संख्या 3 में किया गया है उक्त रास्ते से भी प्रार्थी द्वारा अपने [illegible] 1703 पर जाने के लिए प्रतिवादी की आराजी नं0 1707 व 1702 से होकर आवागमन करना होगा जिससे उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

वर वक्त सुनवाई उभयपक्ष अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दौराने बहस प्रार्थी ने सहमति जाहिर की की आराजी नं0 1709 में से विपक्षीगण की आराजी नं0 1707 के लगते हुए 0.0950 हे0 भूमि दी जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब का हवाला देकर जवाब में चाही गई रिलिफ अनुसार एवं रास्ते के बदले रास्ता हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1696, 1699, 1709, 1718 में आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा अपने शामलाती कुंए की आराजी नं0 1703 पर जाने के लिए प्रतिवादी की आराजी नं0 1707 व 1702 से होकर आवागमन करना होगा जिससे उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु आराजी नं0 1693/1 रकबा 0.83 हे0 में से 0.0240 हे0 तथा आराजी नं0 1702 रकबा 0.18 हे0 में से 0.0170 हे0 आराजी नं0 1707 रकबा 0.19 हे0 में से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होती है। किन्तु उक्त रास्ता देने से आराजी नं0 1693/1 के दो टुकड़े होते है इस कारण आराजी नं0 1693/1 के उत्तरी मेड़ के सहारे होकर पूर्वी मेड़ के सहारे रास्ता देने पर उक्त आराजी नं0 1693/1 से 0.0480 हे0 तथा शेष आराजी नं0 1702 से 0.170 हे0 व आराजी नं0 1707 से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होगी अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0950 हे0 भूमि प्रभावित होगी। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 1696, 1699, 1709, 1718 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए विपक्षीगण की आराजी नं0 1693/1 के उत्तरी मेड़ के सहारे होकर पूर्वी मेड़ के सहारे रास्ता देने पर उक्त आराजी नं0 1693/1 से 0.0480 हे0 तथा शेष आराजी नं0 1702 से 0.170 हे0 व आराजी नं0 1707 से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होगी अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0950 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का रास्ते के एवज में भूमि दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को आदेश दिया जाता हैं कि विपक्षीगण की ग्राम लखमणियास प0ह0 गणेशपुरा की आराजी नं0 1693/1 के उत्तरी मेड़ के सहारे होकर पूर्वी मेड़ के सहारे रास्ता देने पर उक्त आराजी नं0 1693/1 से 0.0480 हे0 तथा शेष आराजी नं0 1702 से 0.170 हे0 व आराजी नं0 1707 से 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होगी अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0950 हे0 भूमि मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नं0 1709 में से 0.0950 हे0 भूमि विपक्षीगण की आराजी नं0 1707 के लगाते हुए विपक्षीगण के नाम पर बतौर खातेदारी दर्ज अभिलेख करें। तदनुसार नक्शे में तरमीम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:19 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner